


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील
में जारी हुए

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
के अन्तर्गत गौतम एडवोकेट ने प्रस्तुत किया। दर्ज रजिस्टर हो।
निवेदन पर प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी की एक
हुनी गयी। यहां हम अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस
तथ्यों से प्रथम दृष्टिया सहमत हैं।

अतः अप्रार्थी नं० 1 को आगामी तारीख पेशी तक जर्गे
पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम जरगा की
2072-75 की खतौनी सं० 72 की ख० नं० 873 की 7.06
में अपने 3/4 हिस्से के संबंध में राजस्व रेकार्ड की यथा
नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक
को पेश हो।


सपक्षण्ड अधिकारी
खानपुर (आलावाड़)

आज पेश हुई। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता
हैं। वादी का वाद विद्वाने आधार पर
हुआ है। ऐसे में इस प्रार्थना-पत्र
की आवश्यकता नहीं
अतः प्रार्थना पत्र उचित अन्तर्गत धारा
RT Act 1955 खारिज किया जाता है।
निर्णय में शुमार होकर तमसे
बाद तामील तमील दायित्व दफ्तरी हो


सपक्षण्ड अधिकारी
खानपुर जिला आलावाड़
(राजस्थान)


सपक्षण्ड अधिकारी
खानपुर जिला आलावाड़
(राजस्थान)